क्रमांक-5

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरे सदन को होली पर्व की बधाई दी गई.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी सदन के सभी सदस्यों तथा प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. बधाई एवं शुभकामनाएं.

आसंदी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधानसभा को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

3. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,6,7,8,10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 179 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 207 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. बहिर्गमन.

प्रश्नकाल के दौरान श्री अभय मिश्रा, सदस्य, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

मण्डला जिले में बैगा जनजाति पर पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक कार्यवाही की जाना.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने उल्लेख किया कि 9 मार्च को मण्डला जिले में बैगा जनजाति पर पुलिस ने निर्ममतापूर्वक गोली चला दी है, प्रदेश के आदिवासी असुरक्षित हैं, बैगा जनजाति को पुलिस ने गोली से मार दिया, वहीं पर नक्सलाइट बताकर आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा है.

इस पर आसंदी द्वारा व्यवस्था दी गई कि, ''उस पर ध्यानाकर्षण आया है, सरकार से जानकारी मंगाई है, समय आने पर मैं आपको अवसर दूंगा.''

6. गर्भगृह में प्रवेश, धरना एवं बहिर्गमन.

मण्डला जिले में बैगा जनजाति पर पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक की जा रही कार्यवाही पर शासन द्वारा चर्चा न कराये जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण गर्भगृह में आए, धरना दिया और तदुपरांत सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त)** द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन 2024 का प्रतिवेदन संख्या-9 (स्थानीय शासन) एवं

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन 2024 का प्रतिवेदन संख्या-10 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) तथा

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु मध्यप्रदेश शासन 2024 का प्रतिवेदन संख्या-11 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) पटल पर रखें गए.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री** द्वारा, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

(3) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री** द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन्, 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(4) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री** द्वारा, भारत सरकार की गाईड लाईन के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे पटल पर रखा गया.

(5) **श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री** द्वारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाये गये नियम की कंडिका 56 की उप कंडिका (1) की अपेक्षानुसार आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(6) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा,

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 52 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं

(ख) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखें गए.

8. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य ने सिवनी जिले में स्कूल भवनों का मरम्मत कार्य गुणवत्ता अनुसार न कराया जाना।

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सी.एम. राईज स्कूल मकरौनिया एवं कर्रापुर की स्वीकृति उपरांत भी स्कूलों का संचालन न कराया जाना।

(3) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना।

(4) श्री मधु भाऊ भगत,सदस्य ने प्रदेश में माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाना।

(5) श्री मुकेश टंडन, सदस्य ने विदिशा जिले में संचालित शासकीय कन्या महाविद्यालय राजमाता विजयराजे सिंधिया को पूर्ण रूपेण स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाना।

(6) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,सदस्य ने जावरा विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत चिकित्सालय एवं स्कूल के सामने से शराब की दुकानों को न हटाया जाना।

(7) श्री फूल सिंह बरैया,सदस्य ने भोपाल स्थित जयप्रकाश चिकित्सालय में सफाई कर्मियों को समय पर वेतन न मिल पाना।

(8) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने जिला देवास एवं सीहोर के मध्य खिवनी अभ्यारण्य से सटे गांव के आदिवासी कृषक बाहुल्य क्षेत्र के निवासियों को विभाग द्वारा खाली कराया जाना।

(9) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत नैनपुर रेलवे मार्ग बैहर चौकी पर रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराया जाना।

(10) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य ने बालाघाट जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत विगत वर्षों में स्वीकृत अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्यो की राशि शासन द्वारा आवंटित न की जाना।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

9. ध्यानाकर्षण.

(1) **श्री लखन घनघोरिया, सदस्य** ने जबलपुर जिले के ग्राम टिमरी में हत्याएं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री गोपाल भार्गव एवं डॉ. अभिलाष पाण्डेय,सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य** ने भोपाल जिले के फंदा में स्वीकृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(2) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
(3) श्री मुकेश मल्होत्रा (जिला-श्योपुर)
(4) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(5) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(6) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
(7) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(8) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(9) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(10) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(11) श्री विश्वनाथ सिंह "मुलाम भैया" (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
(13) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(14) श्री विक्रम सिंह (विक्की) (जिला-सतना)
(15) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(16) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(17) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(18) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(19) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(20) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(21) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(22) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (जिला-खरगोन)
(23) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(24) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(25) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(26) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(27) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(28) श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-बड़वानी)
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(30) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
(31) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(32) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(33) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(34) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(35) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(36) श्री केशव देसाई (जिला-जाटव) (जिला-रीवा)
(37) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(38) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(39) श्री श्याम बरड़े (जिला-बड़वानी)
(40) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(42) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(43) श्री महेन्द्र रामसिंह यादव (खतौरा) (जिला-शिवपुरी)
(44) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(45) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(46) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)

(47) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(48) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-**रतलाम)
(49) **श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-**छतरपुर)
(50) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(51) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-**सिवनी)
(52) **श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-**दतिया)
(53) **श्री विवेक (विक्की पटेल) (जिला-**बालाघाट)
(54) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)
(55) **श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा) (जिला-**हरदा)
(56) **श्री प्रदीप पटेल (जिला-**मऊगंज)
(57) **श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-**ग्वालियर)
(58) **श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-**सतना)
(59) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(60) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-**जबलपुर)
(61) **श्री अमर सिंह यादव (जिला-**राजगढ़)
(62) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पुरःस्थापित किया गया.

12. अध्यक्षीय घोषणा.

लघु फिल्म छावा नायक का प्रस्तुतिकरण एवं होली मिलन समारोह

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि– ''आज शाम 7 से 7.30 तक लघु फिल्म छावा नायक का प्रस्तुतिकरण अशोका लेकव्यू होटल में किया जा रहा है. इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है. नियत समय पर हम सब लोग पहुंचें ऐसा मेरा अनुरोध है. भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप लोग अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है.'',

''दिनांक 20 मार्च 2025 को माननीय सदस्यों के लिये विधानसभा परिसर स्थित सभागार में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भोजन भी होगा, आप सब माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही के पश्चात् होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित रहने का कष्ट करें.''

13. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2025 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर प्रारंभ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गोपाल भार्गव

14. अध्यक्षीय घोषणा.

भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप लोग अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है.''

15. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(2) श्री बाला बच्चन
(3) श्री जयंत मलैया

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(5) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(6) श्री लखन घनघोरिया

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं.

(7) श्री दिलीप सिंह परिहार
(8) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(10) श्री कैलाश कुशवाह
(11) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू
(12) श्री संजय उईके
(13) श्रीमती रीती पाठक
(14) श्री आतिफ आरिफ अकील
(15) श्री कमलेश्वर डोडियार

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(16) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(17) श्री गौरव सिंह पारधी
(18) श्री भंवर सिंह शेखावत

16. अध्यक्षीय घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा कल दिनांक 18 मार्च 2025 को भी जारी रहेगी.''

17. शासकीय वक्तव्य.

अटल सुशासन भवन का नाम संशोधन उपरांत अटल ग्राम सेवा सदन किए जाने संबंधी.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया कि, "पिछले सत्र में मैंने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी का उल्लेख करते हुए जो नये ग्राम पंचायत भवन निर्मित हो रहे हैं. उनका नाम "अटल सुशासन भवन" मैंने सदन के भीतर कहा था लेकिन जब इसकी प्रधानमंत्री जी ने पहली किश्त जारी की तो उस समय उसका नाम "अटल ग्राम सेवा सदन" हुआ है, उस संशोधन को लेकर मैं आपके सामने अपनी बात कह रहा हुँ."

18. वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 50 एवं 54 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर अठारह हजार सात सौ छह करोड़, अठावन लाख, तिहत्तर हजार, चार सौ सैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(2) श्री अभय मिश्रा
(3) श्री गौरव सिंह पारधी

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

19. वित्तीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 06:56 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 17 मार्च, 2025